राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम,मुंगेर
सदर अस्पताल, मुंगेर

दिनांक 02.02.2013 को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही ।

जिला स्वास्थ्य समिति, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सोसियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) बिहार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 02.02.2013 को 02:00 बजे जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की दुसरी बैठक का आयोजन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आयोजित किया गया। जिसमें जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति (DTCCC) के सभी सदस्य उपस्थित हुए। बैठक की कार्यवाही निम्न प्रकार है:–

उपस्थितिः– यथा पंजी।

बैठक का शुम्भारम्भ करते हुए सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम) ने **सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA 2003** के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया गया कि जन स्वास्थ्य के हित में सार्वजानिक स्थानों पर धुम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है। साथ हीं अव्यस्कों को या शैक्षणिक संस्थानों के निकट इनके बिक्री को वर्जित किया गया है। तम्बाकू या निकोटीन मिलाई गई कोई भी पदार्थ आहार सामाग्री के रूप में बनाई या बेची नहीं जा सकती है। दीपक मिश्रा कार्यपालक निदेषक, सीड्स के द्वारा दिनांक 04.08.12 की कार्यवाही विवरणी के बारे में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा दिनांक 04.08.12 को लिए सभी निर्णय का आदेश आज ही निर्गत करने का आदेश सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर को दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक का मुख्य उद्देश्य निम्न बताया गया:–

1. मुंगेर जिले को धुम्रपान मुक्त जिला घोषित करने हेतु तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के विभिन्न धाराओं (कोटपा–2003) का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना।
2. मुंगेर जिला में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा–2003) का संस्थानीकरण करना।
3. स्वास्थ्य विभाग के अलावे अन्य दूसरे विभागों का तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में भूमिका एवं उनसे अपेक्षित सहयोग।

<u>जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–</u>

I. **DTCCC का विस्तारीकरण** – बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति का विस्तारीकरण किया जाय जिस समिति में उपविकास आयुक्त,मुंगेर,जिला परिवहन पदाधिकारी,मुंगेर एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक जिला स्वास्थ्य समिति,मुंगेर को भी शामिल किया जाए एवं जिला तम्बाकू नियंत्रण सेल को सुदृढ करने हेतु कर्मियों की कमी के कारण तत्काल जिला स्वास्थ्य समिति में कार्य का संपादन किया जाए।साथ ही जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा उपविकास आयुक्त,मुंगेर को वरीय प्रभारी पदाधिकारी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम नामित किया गया।

(अनुपालन – उपविकास आयुक्त,वरीय प्रभारी पदा0 मुंगेर,जिला परिवहन पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन,मुंगेर)

II. **धूम्रपान मुक्त मुंगेर जिला** – मुंगेर जिलान्तर्गत , तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु यह निर्णय लिया गया कि सभी सार्वजनिक स्थानो के प्रभारी/मालिक हर प्रवेश द्वार एवं प्रत्येक मंजिल में सुस्पष्ट स्थान पर 60 से0मी0 X 60 से0मी0 का धूम्रपान निषेध क्षेत्र का सफेद पृष्ठ भूमि का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेगें । बोर्ड के डिजायन का प्रारूप सीड्स के प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराया जाय, जिसे सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक सभी संबधित को इस डिजायन का प्रारूप लिखित पावती के साथ उपलब्ध करायेगे ताकि भविष्य में छापामारी दस्ता के समक्ष जानकारी के अभाव का वे बहाना न बना सके।साथ ही नोडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि **सम्मान फांउडेशन,पटना** जो जिले में कोटपा की धारा– 4 का अनुश्रवण करेंगें उन्हें हरसंभव मदद करेंगें।

(अनुपालन – सिविल सर्जन/जिला नोडल पदाधिकारी, मुंगेर)

III. **धावा दल का गठन एवं प्रशिक्षण** – जिला स्तर पर जिला स्तरीय,अनुमंडलीय स्तरीय एवं प्रखण्ड स्तर पर गठित धावा दल का प्रशिक्षण दिनांक 09.02.13 को आयोजित करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि पूर्व के धावा दल में आंशिक संसोधन करते हुए पदनाम से आदेश निर्गत किया जाए।

(अनुपालन – नोडल पदाधिकारी एवं उपविकास आयुक्त मुंगेर)

IV. **प्रचार प्रसार** – उपविकास आयुक्त मुंगेर को निर्देशित किया गया कि जब कभी भी पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जाए उस बैठक में तंबाकू निषेध के उपर चलचित्र को दिखलाया जाय एवं तम्बाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जनप्रतिनिधियों को बताया जाए।

सिविल सर्जन मुंगेर को निर्देष दिया गया कि जब भी किसी प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाय उस कार्यक्रम में तम्बाकू के दुष्प्रभाव को चलचित्र के माध्यम से बताया जाय।